

60  
15  
7

मूल वाद में डिब्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दूध

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- त्रिलोकचन्द मीणा R.A.S.

विनोद कुमार उन्वान ललिता वर्मा  
वनाम

दावा बाबत दाखनात्मक

मुकदमा नम्बर :- 101/2017

निर्णय दिनांक :- 30/05/2018

वादी की ओर से विनोद कुमार की व प्रतिवादी की ओर से शक्ति प्रसाद  
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30/05/2017 को (नाम पीठासीन अधिकारी) त्रिलोकचन्द मीणा

चन्द मीणा

उपखण्ड अधिकारी, दूध के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिब्री दी जाती है कि -

राजस्व ग्राम दाणी नन्दा की सुमावदी धु  
2012-2015 के खाता सं. 260 के वि. नं. 159 तथा 0-47 ह. वां. में सज्जा

धु की वजाप सज्जन लाल पुत्र शाजीत मल दर्ज करते हुए


ललिता देवी ध. पु. स्व सज्जन लाल दि. 16 सुरेन्द्र, राजेन्द्र कुमार, रमेशचन्द

विनोद कुमार पि. सज्जन लाल दि. 4/6 इन्द्र जैन पुत्री स्व. सज्जन लाल

दि. 16 कर्म जैन सा. सेवा की खातेदार काष्ठ भा. घोषित किया

जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सहायक कलक्टर)  
पीठासीन अधिकारी  
विनोद कुमार  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	